श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 17.09.2015 को प्रभारी सचिव के रूप में बेगूसराय जिले की ग्रामीण भ्रमण टिप्पणी :–

बेगूसराय जिले में खरीफ 2015 की स्थिति का आँकलन किया गया।

2. माह जुलाई में वर्षापात् की भारी कमी के कारण तथा पूर्व वर्षों के अनुभव के फलस्वरूप जिले में किसान धान के बजाय मकई एवं सोयाबीन के खेती करने की ओर प्रेरित हुए हैं। इसके फलस्वरूप धान का आच्छादन 12,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 7,800 हेक्टेयर हुआ है। मकई का आच्छादन 73,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लक्ष्य के विरूद्ध 76,000 हेक्टेयर हुआ है एवं सोयाबीन का आच्छादन 9000 हेक्टेयर हुआ है।

3. माह जुलाई एवं सितम्बर का वर्षापात्, औसत से क्रमशः 42.20 प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत कम है। माह जुलाई के कम वर्षापात् का प्रभाव आच्छादन पर हुआ है और माह सितम्बर के कम वर्षापात् का प्रभाव खरीफ फसल की वृद्धि पर हो रहा है। किसान द्वारा डीजल पंपसेट के माध्यम से पटवन करके, धान की फसल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

4. अगस्त महीने में वर्षा के साथ तेज हवा के दृष्टांत रहे थे, जिसके फलस्वरूप कई इलाकों में मकई की फसल गिर चुकी है, जिसका प्रभाव उत्पादकता पर होगा।

5. जिला प्रशासन, डीजल अनुदान वितरण कार्य कर रहा है, किन्तु अनुदान वितरण की गति धीमी है और व्यवस्था प्रभावकारी नहीं है। विधानसभा चुनाव में प्रशासनिक तंत्र की व्यस्तता के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। जिला पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य सभी संबंधितों को कहा गया है कि इसमें तत्परता लायी जाय।

6. **<u>विशेष तौर पर कृषि विभाग के स्तर से निम्न दो बिन्दुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश दिया जाना, इस स्थिति में लाभकारी होगा</u>** :–

(i) डीजल अनुदान के आवेदन पत्र, सामान्यतः कृषि सलाहकारों द्वारा लिये जाते हैं, लेकिन एक वैकल्पिक प्रभावकारी व्यवस्था के तौर पर प्रखंड स्तर पर

काउंटर स्थापित करना चाहिए, जहाँ इच्छुक किसान किसी भी समय अपना आवेदन पत्र दे सकें।

(ii) विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता की पृष्ठभूमि में, प्रशासनिक तंत्र में भ्रम की स्थिति है कि डीजल अनुदान के आवेदन पत्र निष्पादित किए जाएं अथवा नहीं? इस पर स्पष्ट दिशानिर्देश कृषि विभाग के स्तर से भेजा जाना चाहिए ताकि भ्रांति की स्थिति समाप्त हो जाय।

7. क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यह चिंताजनक स्थिति पायी गयी कि फसल क्षति अनुदान, जो रबी की फसल क्षति से संबंधित था, उसमें से लगभग 20 प्रतिशत किसानों को स्वीकृत राशि, जो कोषागार से निकासी भी की जा चुकी है, वह किसानों के खाते में वस्तुतः हस्तांतरित नहीं हो पायी है। इसका कारण RTGS की प्रक्रियाओं में कुछ तथ्यात्मक विसंगतियों के कारण, बैंक द्वारा Transaction को Invalid करार करके, सुधार की अपेक्षा करना रहा है। पिछले दो महीने से अधिक की अवधि गुजर जाने के बाद भी प्रखंड कार्यालयों द्वारा इस त्रुटि का निराकरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण किसानों में असंतोष है।

8. भगवानपुर प्रखंड के भ्रमण के क्रम में यह पाया गया कि कुल 4928 किसानों को फसल क्षति अनुदान की स्वीकृति हुई थी, किन्तु 900 से अधिक किसानों को वास्तव में राशि स्थानांतरित नहीं हो पायी है। इसका कारण बैंक द्वारा Transaction को Invalid करार करते हुए वापस कर देना है, जिसका निराकरण नहीं हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी स्थिति प्रायः सभी प्रखंडों में है।

9. इस मामले में आदर्श आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। अतः तदनुसार यह परामर्श दिया गया है कि प्राथमिकता पर इस समस्या का निराकरण कराया जाय ताकि जायज किसानों को उनकी हिस्सा राशि शीघ्र मिल सके।

17.7.15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4871 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/9/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

17.9.15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4871 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/9/15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.9.15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4871 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/9/15

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.9.15
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4871 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/9/15

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17.9.15
प्रधान सचिव

01